फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

पांचाराम वगै.
बनाम
घमण्डा का.मु. चेतनराम वगै.

किस्म मुकदमा विविध प्रार्थना–पत्र न.03 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.02.2022	दिनांक 17.12.2021 से 30.01.2022 तक पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने तथा अवकाश उपरांत लौटने के बाद पत्रावली बाद जांच पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सोनी उपस्थित हुए। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सहपठित धारा 151 सी पी सी न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2019 को पारित किया गया के विरूद्ध पेश हुई। ऐडमिशन स्टेज एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अदालत हाजा द्वारा जिन जिन सम्मनों के आधार पर प्रार्थीगण की तामील मानी गई है, वह सम्मन कब अदालत हाजा में पेश हुये, कब जारी किये गये, कब वापिस प्राप्त हुये, इन सब बातों का आदेशिका में कोई हवाला नहीं है। कानूनन अदालत हाजा द्वारा जो सम्मन तामील हेतु भेजे जाते है उसके साथ अपील मीमो की नकल भेजा जाना अति आवश्यक है वर्तमान प्रकरण में सम्मनों के साथ अपील मीमो की कोई नकले नहीं भेजी गयी है ऐसी स्थिति में भी प्रार्थीगण की तामील को कानूनन विधिवत तामील नही मानी जा सकता है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। न्यायालय हाजा के आदेश की आड़ में प्रार्थीगण को मौके पर से बेदखल किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण के आवेदन को ऐडमिशन करते हुए स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ऐडमिशन स्टेज एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये बावजूद सूचना प्रार्थीगण अनुपस्थित आये। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र को ऐडमिशन स्टेज पर ही खारिज करने योग्य ठहरता है। लिहाजा प्रार्थीगण के आवेदन को ऐडमिशन स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	